जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः एफ/प्रशा/स्था /2024/७०१८ दिनांक 23/10/24

//कार्यालयीन आदेश//

माननीय कुलगुरू जी की अध्यक्षता में दिनांक 21.10.2024 को सम्पन्न हुई अधिकारियों की बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1. सहायक कुलसचिव (अकादमी) यह सुनिश्चित करें कि कार्यपरिषद एंव अन्य प्राधिकृत संस्थाओं के निर्णय यथा समय संबंधित विभागों को प्राप्त हो जावें तथा उनसे प्राप्त पालन प्रतिवेदन उचित रूप में आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। इस हेतु संबंधित विभागों को भी यह लिखित में निर्देशित करें कि पालन प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से क्रियान्वयन संबंधी जानकारी उल्लेखित हो।
2. बोर्ड ऑफ स्टडीज ज्यार्तिविज्ञान की बैठक तत्काल आयोजित की जावे।
3. शोध उपाधि समिति की विगत सत्र की लंबित बैठकें तत्काल आयोजित की जावे।
4. आर.ए.सी की बैठक सुगमतापूर्वक आयोजित हो सके इस हेतु शोध मार्गदर्शक उन पर उपलब्ध रिक्त सीटों की संख्या का विषयवार उल्लेख करते हुए जानकारी तैयार की जावे तथा प्रो. डी.एन. गोस्वामी, समन्वयक, पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा को उपलब्ध कराई जावे।
5. नेट/जे.आर.एफ. के संदर्भ में हुई विसंगतियों के लिये सहायक कुलसचिव विकास एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत् श्रीमती भारती बाथम तथा श्री जितेन्द्र नरवरिया से स्पष्टीकरण लिया जावे।
6. सहायक कुलसचिव, विकास यह भी सुनिश्चित करें कि, यू.जी.सी/नेट/जे.आर.एफ संबंधी प्रकरण पूर्ण रूपेण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में अपलोड किये जावे।
7. जे.आर.एफ से एस.आर.एफ में उन्नयन किये जाने प्रकरण कोई लंबित हो तो उनका तत्काल निराकरण किया जावे।
8. सी.ओ.ई/पी.एम ऊषा संबंधी पत्रावलियों समुचित रूप से विकास विभाग द्वारा संधारित की जावे।
9. अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को वे भली/भांति पढ़कर ही उच्च कार्यालय को आदेशार्थ प्रस्तुत करें। प्रस्तुतिकरण में यह ही सुनिश्चित करें कि विषय से संबंधित प्रावधानों/व्यवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख हो, यथासंभव कभी भी कोई प्रकरण अवलोकनार्थ/आदेशार्थ करके प्रस्तुत न किया जावे।
10. परीक्षा नियंत्रक आगामी परीखा को दृष्टिगत रखते हुए यह सनिश्चित करें कि स्नातकोत्तर स्तर की सभी परीक्षाओं के पेपर सेट हो जावे, ताकि 22 नवंबर 2024 से प्रस्तावित परीक्षाओं में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
11. परीक्षा नियंत्रक सेन्टर निर्धारण समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित कर कुलगुरू जी को अनिवार्य रूप से दिनांक 07.11.2024 तक समिति के सदस्यों द्वारा मान्य सूची उपलब्ध करावे।
12. ग्वालियर के परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के लिये यदि लीड कॉलेज के प्राचार्य को वाहन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उन्हें सूचित करें कि वे टैक्सी लेकर कार्य निष्पादित करें। टैक्सी का भुगतान कलेक्टर दर से विश्वविद्यालय द्वारा कर दिया जावेगा।
13. परीक्षा नियंत्रक एन.ई.पी के अनुसार प्रमाण पत्र/डिप्लोमा एवं उपाधि का प्रारूप तैयार करा लें तथा इस हेतु संबंधित समिति की बैठक तत्काल बुलावे।
14. परीक्षा से संबंधित प्रत्येक पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि, सी.एम. हेल्पलाईन संबंधी प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में एल–01 स्तर पर ही हो जावे तथा किन्हीं भी परिस्थितियों मे कोई भी प्रकरण एल–02 स्तर पर न जावे। इस बावत उन्होनें यह भी निर्देश दिये कि बी.एस.सी., बी.एड एवं एलएलबी की सीटों से संबंधित सी.एम हेल्प लाईन संबंधी प्रकरण अधिकता में है इनका निराकरण अनिवार्य रूप से आगामी शुक्रवार तक हो जावे तथा आवश्यकता होने पर संबंधित विभागों के कर्मचारियों को वहां से अन्यत्र स्थानांतरित किया जावे।
15. परीक्षा नियंत्रक परीक्षा परिणाम तैयार करने वाली कंपनी के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि, आगामी परीक्षा के आधार पाठ्यक्रमों की ओ.एम.आर. सीट के स्केन की व्यवस्था विश्वविद्यालय मुख्यालय पर ही हो ताकि संबंधित परिणाम तैयार करने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान/अस्पष्टता न हों।
16. वित्त नियंत्रक यह सुनिश्चित करें कि शिक्षकों को देय मानदेय संबंधी कोई भी प्रकरण लंबित न रहें तथा अग्रिम राशियों के समायोजन्न हेतु कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावे।

17. बैक ऑफ बड़ोदा को जारी किये जाने वाला पत्र आज ही भेजा जावे।
18. सहायक कुलसचिव, स्टोर समस्त लंबित ई.एम.डी. वापसी संबंधी प्रकरणों के संदर्भ में समुचित कार्यवाही आगामी तीन दिवस में पूर्ण करें। वे यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी कार्य के लिये जारी होने वाला टेण्डर में कोई अस्पष्टता न रहें जिससे संशोधित टेण्डर जारी करने की स्थिति निर्मित न हो। यदि किसी कार्य के अनुबंध की समय सीमा निकट हो तो तदहेतु जारी किये जाने वाले टेण्डर भी समुचित समयावधि लेते हुए जारी किये जावे।
19. सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि सांय को कार्यालय बंद करते समय उनके विभाग के पंखे, खिड़कियॉ, लाईट बंद हों।
20. स्टडी सेन्टर का लोकार्पण निक़ट भविष्य में होना है अतः विश्वविद्यालय यंत्री पी.आई.यू से चर्चा कर स्टडी सेन्टर पर लंबित सभी कार्यो को तत्काल पूर्ण कराये।
21. बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला का जो कक्ष अग्निकांड की वजह से जल गया था उसे तत्काल ठीक कराये। इस हेतु पूर्व में गठित समिति की बैठक आयोजित कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
22. ईस्ट कैम्पस में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी भवन, चाणक्य भवन, स्वीमिंग पूल इत्यादि के आसपास सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें इस हेतु आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति ले लें।
23. ईस्ट कैम्पस में सड़क के संधारण के लिये तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2024 तक आयोजित करें।
24. स्टडी सेन्टर में महिला स्वसहायता समूह के सहयोग से केन्टीन संचालित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
25. स्टडी सेन्टर में आवश्यकतानुसार फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि तत्काल सेटअप कराये जावें।
26. कर्मचारी संघ से प्राप्त ज्ञापन के संदर्भ में ऐसे बिन्दु जिनका निराकरण विश्वविद्यालय स्तर से हो सकता है उनसे संबंधित आदेश जारी नहीं हुए हो तो तत्काल जारी किये जावें तथा ऐसे प्रकरण जिनका निराकरण शासन स्तर से होना है उनके लिये शासन को पत्र लिखा जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक / उप / सहा0 कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. विश्वविद्यालय यंत्री, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. सहा0 कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय / लेखा / प्रशासन / स्टोर / अकादमी / विकास) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. कुलगुरू के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. श्री एच.के. द्विवेदी, प्रभारी आई.टी सेल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सहायक कुलसचिव (प्रशा0)